

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रुद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं०: 137/2023-24

दिनांक : 04.09.2023

उपस्थित: श्री रमेश चन्द्र कुकरेती
(न्यायिक सदस्य)

श्री नवीन चन्द्र तिवारी
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री गुरुबक्स सिंह पुत्र श्री संत सिंह,
आवास विकास कालोनी, रुद्रपुर।

परिवादी

बनाम
अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, रुद्रपुर-1

विपक्षी

निर्णय

परिवादी श्री गुरुबक्स सिंह पुत्र श्री संत सिंह का एक शिकायती पत्र दिनांक 17.08.2023 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता ने उनके विद्युत संयोजन संख्या-8913437086091 (01 किलोवाट घरेलू) पर लगे विद्युत मीटर पर, चैक मीटर लगवाकर कर विद्युत बिल संशोधित कराने की प्रार्थना की है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत मीटर की जांच के उपरांत विद्युत बिल (रु० 23764.00) को संशोधित कराने की भी प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता, वि०वि०ख०, रुद्रपुर-1 को अपने पत्र दिनांक 17.08.2023 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 26.08.2023 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 04.09.2023 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। आज दिनांक 04.09.2023 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री सतीश जोशी, सहायक अभियन्ता व श्री अजय मैग्रेगर, खण्डीय लिपिक के तर्क सुने गए।

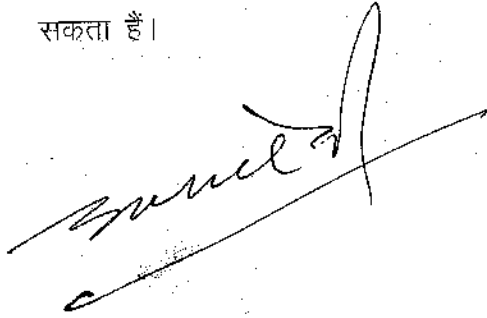
विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या-3152 दिनांक 02.09.2023 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के उक्त विद्युत संयोजन का विद्युत बीजक, माह

क्रमशः 2.....

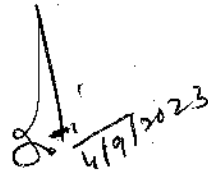
20.01.2023 से माह 10.05.2023 तक पुराने मापक सं० 510964 की फाइनल रीडिंग 83267 के आधार पर, उसके विद्युत बिल से रू० 2283.00 कम करते हुए संशोधित बिल रू० 28040.00 का बना दिया गया है। साथ ही उक्त संयोजन के सापेक्ष ऑनलाईन शिकायत के आधार पर, पुराने मापक की टी०पी० जल जाने के कारण नया मापक सं० 10368342 दिनांक 10.05.2023 को स्थापित कर दिया गया है। परिवादी का विद्युत बीजक संशोधित होने के उपरान्त वर्तमान में माह 08/2023 तक के विद्युत बीजक के सापेक्ष, रू० 28040.00 भुगतान हेतु लम्बित है।

आदेश

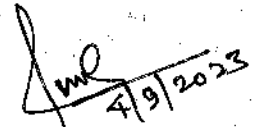
परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तदनुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफतर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज-1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता है।



(रमेश चन्द्र कुकरेती)
न्यायिक सदस्य



(नवीन चन्द्र तिवारी)
तकनीकी सदस्य



(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य